अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 682(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 नवम्बर,2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1002 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों के लिए उत्तरप्रदेश पेरेन्टस एसोसिएशन की बी-1/42, सेक्टर के, अलीगंज,लखनऊ-48 द्वारा लखनऊ में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल भवन,व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक होस्टल के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरप्रदेश पेरेन्टस एसोसिएशन की मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों के लिए उत्तरप्रदेश पेरेन्टस एसोसिएशन की बी-1/42, सेक्टर के, अलीगंज,लखनऊ-48 द्वारा लखनऊ में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल भवन,व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक होस्टल के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र अठारह लाख, तेरह हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 145/2003/फा. सं. एन.सी.-81/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)